

प्रेस नोट थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 01.06.2022

थाना चौरीचौरा क्षेत्रान्तर्गत मकान के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व तथा प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह के, दिनांक 31.05.2022 को थाना चौरीचौरा क्षेत्रान्तर्गत मकान के बंटवारे के लेकर हुए विवाद में अपने ही पिता को लाठी डंडे से पीटकर मार देने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/2022 धारा 304,504 भादवि पंजीकृत किया गया जिससे सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजू पुत्र स्व0 मिठाईलाल जायसवाल निवासी ग्राम केवला डाबर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर उम्र 50 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 01.06.2022 को अभियुक्त राजू पुत्र स्व0 मिठाईलाल जायसवाल को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 11.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

राजू पुत्र स्व0 मिठाईलाल जायसवाल निवासी ग्राम केवलाडाबर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर उम्र 50 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 180/2022 धारा 304/504 भादवि0 थाना चौरी चौरा गोरखपुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

फुटहवा तिराहे के पास, दिनांक 01.06.2022 समय 11.00 बजे

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस के टुकड़ा आला कत्ल (जिन पर रक्त लगा हुआ है)
2. दो अलग-अलग डिब्बे में खूना लूद सादी मिट्टी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम -

1. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय थाना चौरी चौरा गोरखपुर।
2. हे0का0 चालक रविशंकर थाना चौरी चौरा गोरखपुर।
3. का0 मनोज कुमार यादव थाना चौरी चौरा गोरखपुर।
4. का0 प्रेम कुमार उपाध्याय थाना चौरी चौरा गोरखपुर।
5. का0 संजय कुमार मौर्या थाना चौरी चौरा गोरखपुर।
6. म0का0 रुचि सिंह थाना चौरी चौरा गोरखपुर।